न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 67 / 2023 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2023 / 78

1. तोलाराम पुत्र भंवरलाल जाति मेघवाल निवासी कल्याणसर अगुणा तहसील बीकानेर जिला बीकानेर।
2. मेघसिंह पुत्र श्री पीरदान सिंह जाति राजपूत निवासी कल्याणसर अगुणा तहसील बीकानेर जिला बीकानेर।
3. श्रवण कुमार पुत्र भागीरथ राम बिश्नोई निवासी कुचौर अगुणी हाल निवासी कल्याणसर बड़ा तहसील व जिला बीकानेर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान।
2. ग्राम पंचायत कल्याणसर अगुणा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कल्याणसर अगुणा तहसील व जिला बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः श्री करणसिंह तंवर — अभिभाषक अपीलांट्स
राजकीय अभिभाषक — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

निर्णय

दिनांक 31.12.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 28.07.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादगत भूमि खसरा नंबर 207 की 0.26 हैक्टयर भूमि उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के आदेश दिनांक 28.07.2023 द्वारा लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 92 के अंतर्गत हाड़ा रोही हेतु आरक्षित कर दी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के उक्त आदेश दिनांक 28.07.2023 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत भूमि खसरा नंबर 207 की 1.26 हैक्टयर भूमि पर पूर्व बच्चों के स्कूल हेतु प्रस्तावित है तथा इसी भूमि पर ग्राम कल्याणसर बड़ा के बच्चों को एक

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

मात्र खेल मैदान बना हुआ है। जो पूरे गांव के बच्चों के लिए एकमात्र खेल मैदान है। प्रस्तावित स्कूल भवन के पास हाड़ा रोही आरक्षित करने से बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड करना है। खसरा नंबर 207 में ही एक मंदिर बना हुआ है जो कि पूरे गांव के निवासियों का धार्मिक आस्था का पूजा स्थल है जहां प्रतिदिन गांव की महिलाएं व पुरूष आदि दर्शन करने के लिए आते जाते है। मंदिर के पास ही हाड़ा रोही बनाया जाना किसी भी प्रकार से न्यायोचित नही है। उक्त खसर नंबर 207 के चारों तरफ दलित मजदूर किसानों की खातेदारी भूमियां हैं। जिस पर मजलूम किसानों ने टयूब वैल लगवाए है। जो भू–माफिया लोगो को रास नहीं आ रहे है। गांव के भू–माफिया गिरोह ने गरीब किसानों ओने पाने दामों में खरीदने के लिए राजनैतिक षडयंत्र रच कर खसरा नंबर 207 को हाड़ा रोही आरक्षित करवाने का आदेश पारित करवाया है। हाड़ा राही आबादी क्षेत्र के पास बन जाने से वहां के निवासियों का जीवन नारकीय हो जाएगा। तरह तरह की बीकारियां फैलेगी। आवारा पशुओं कुत्तों का आंतक हर समय बना रहेगा तथा हाड़ा रोही से उठने वाली बदबू भरे वातावरण से सैकड़ों लोगो का जीवन तथा वहां निवास करना मुश्किल हो जाएगा। उपखण्ड अधिकारी को धारा 92 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत हाड़ा रोही आरक्षित करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल मात्र जिलाधीश महोदय को है। गांव कल्याणसर बड़ा की रोही में खसरा नंबर 207 को छोड़ कर अन्य कई खसरों में भी राजकीय भूमि उपलब्ध है जहां हाड़ा राही आरक्षित की जा सकती है। अतः आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलांट मंजूर फरमाई जावें।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1 ने अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त वादगत भूमि खसरा नंबर 207 दिनांक 0.26 हैक्टयर भूमि उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के आदेश दिनांक 28.07.2023 द्वारा हड्डा रोही हेतु भूमि आरक्षित की गई जिसकी पालना में नामांतरकरण संख्या 741 दर्ज किया गया। उपरोक्त प्रकरण में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार उक्त वादगत भूमि में आरक्षित हेतु चैकलिस्ट, फर्द मौका तैयार किया एवं नामांतरकरण दर्ज किया उस समय उपरोक्त भूमि मौके पर खाली थी। गावं की आबादी से उक्त वादगत भूमि दो किलामीटर दूरी पर स्थित है तथा वर्तमान में मौका निरीक्षण के दौरान उपरोक्त भूमि के चारों और तारबंदी की जाकर खेल मैदान कल्याणसर अगुणा का बोर्ड लगा हुआ है एवं एक छोटा मंदिर बना हुआ हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में खसरा नंबर 207 कर 1.26 हैक्टयर भूमि में से

0.26 हैक्टयर भूमि आराजीराज भूमि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए नियमानुसार हड्डा रोडी हेतु आरक्षित की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

4– हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–96 सीपीसी प्रस्तुत कर प्रार्थी प्रकरण में आवश्यक व प्रभावित पक्षकार पक्ष होने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के आदेश दिनांक 28.07.2023 को उक्त वादगत भूमि खसरा नंबर 207 की 0.26 हैक्टयर भूमि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 का उपयोग करते हुए हड्डा रोडी हेतु आरक्षित कर दी गई। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अंतर्गत भूमि आरक्षित रखने की शक्तियां जिला कलक्टर को प्रदान की गई है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर ने अपने उक्त अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया है। अधीनस्थ न्यायालय को ऐसी शक्तियां किसी भी विधि द्वारा प्रदत्त नहीं है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर का अपीलाधीन आदेश क्रमांक एसडीओ/एलआर/आवंटन/2023/207 दिनांक 28.07.2023 निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर उक्त प्रकरण में उपयुक्त प्रस्ताव तैयार कर संबंधित सभी पक्षों को सुनकर एवं पूर्ण जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर